कर्नाटक और ए. एन. आर. में खजाने के निदेशक।

वी.

वी. सोम्याश्री

(2021 की सिविल अपील संख्या 5122)

13 सितंबर, 2021

[एम. आर. शाह और अनिरुद्ध बोस, जे. जे.]

सेवा कानून-अनुकंपा नियुक्ति-कर्नाटक सिविल सेवा याचिका (अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति) नियम 1996-आरआर। 2 और 3-मूल रिट याचिकाकर्ता की माँ को कर्नाटक सरकार के साथ द्वितीय प्रभाग के रूप में नियुक्त किया गया था।

सहायक-उसकी मृत्यु 25.03.2012 पर हुई-उसकी मृत्यु के बाद, उसकी बेटी मूल रिट याचिकाकर्ता ने तलाक के लिए तलाक की कार्यवाही शुरू की

आपसी सहमति से हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 का s.13B-उसने 20.03.2013 पर आपसी सहमति से तलाक का फरमान प्राप्त किया-21.03.2013 पर, मूल रिट याचिकाकर्ता ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया-उसका आवेदन खारिज कर दिया गया-कर्नाटक राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने भी उसका आवेदन खारिज कर दिया-हालाँकि, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को अनुकंपा नियुक्ति के अनुदान के लिए मूल रिट याचिकाकर्ता के आवेदन पर विचार करने का निर्देश दिया-उच्च न्यायालय ने माना कि एक तलाकशुदा

बेटी अविवाहित या विधवा बेटी के समान वर्ग में आएगी-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः नियम, 1996 के नियम 2 और नियम 3 से यह देखा जा सकता है कि केवल अविवाहित बेटी 'और' विधवा बेटी 'जो मृत महिला पर निर्भर थीं।

उसकी मृत्यु के समय सरकारी कर्मचारी और उसके साथ रहने वाले को एक मृत सरकारी कर्मचारी का आश्रित कहा जा सकता है और अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए पात्र हैं नियम 2

और नियम 3 में 'तलाकशुदा बेटी' को पात्र नहीं माना गया है।

अनुकंपा के आधार पर और यहां तक कि 'आश्रित' के रूप में भी नियुक्ति-'तलाकशुदा बेटी' शब्द को बाद में संशोधन, 2021 द्वारा जोड़ा गया है-हालांकि, तत्काल मामले में, प्रासंगिक समय पर जब मृतक कर्मचारी की मृत्यु हो गई और जब मूल रिट याचिकाकर्ता ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया तो 'तलाकशुदा बेटी' अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं थी और 'तलाकशुदा बेटी' 'आश्रित' की परिभाषा के भीतर नहीं थी-इसके अलावा, तारीखों और घटनाओं का कालक्रम यानी आपसी तलाक के 20.03.2013 डिक्री पर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नियुक्ति के लिए प्रस्तुत किए जाने पर यह सुझाव दिया जाता है कि केवल अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से ही आपसी सहमति से तलाक की डिक्री प्राप्त की गई थी और साथ ही, जब मृतक कर्मचारी की मृत्यु हुई थी, उस समय वह एक विवाहित बेटी थी और इसलिए, इसे भी 'आश्रित' नहीं कहा जा सकता है जैसा कि नियम 1996 के नियम 2 के तहत परिभाषित किया गया है-इसलिए, तथ्यों पर विचार करते हुए और मामले की परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय को अपीलकर्ताओं को 'तलाकशुदा बेटी' के रूप में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए प्रतिवादी के आवेदन पर विचार करने का निर्देश नहीं देना चाहिए था-इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

राय है कि इस तरह उच्च न्यायालय कर्नाटक सिविल सेवा के नियम 2 और नियम 3 से परे चला गया है (पर नियुक्ति) अनुकंपा के आधार) नियम, 1996 जिसमें अपीलकर्ताओं को प्रतिवादी के आवेदन पर विचार करने का निर्देश दिया गया है।

अनुकंपा के आधार पर 'तलाकशुदा बेटी' के रूप में नियुक्ति। [पैरा 8] [656-जी-एच]

2. नियम 2 और नियम 3 से यह देखा जा सकता है कि केवल 'अविवाहित बेटी' और 'विधवा बेटी'

में मृत महिला सरकारी कर्मचारी पर निर्भर

उनकी मृत्यु और उनके साथ रहने के समय को एक मृत सरकारी कर्मचारी का 'आश्रित' और 'एक अविवाहित' कहा जा सकता है।

महिला सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के मामले में केवल बेटी और विधवा बेटी को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए पात्र कहा जा सकता है। ऊपर पुनरुत्पादित नियम 2 और नियम 3 में 'तलाकशुदा बेटी' को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए पात्र और यहां तक कि 'आश्रित' के रूप में शामिल नहीं किया गया है। जैसा कि एन. सी. संतोष के मामले में इस न्यायालय द्वारा ऊपर और यहां तक कि अभिनिर्धारित किया गया है, आवेदन पर विचार करने की तारीख पर प्रचलित मानदंड अनुकंपा नियुक्ति के लिए दावे पर विचार करने का आधार होना चाहिए। 'तलाकशुदा बेटी' शब्द को बाद में जोड़ा गया है

संशोधन, 2021। इसलिए, प्रासंगिक समय पर जब मृतक कर्मचारी की मृत्यु हो गई और जब मूल रिट याचिकाकर्ता कर्नाटक और ए. एन. आर. में खजाने के निदेशक थे।

वी. वी. सोम्याश्री

उत्तरदाता ने यहाँ नियुक्ति के लिए आवेदन किया

अनुकंपा के आधार पर 'तलाकशुदा बेटी' अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं थी और 'तलाकशुदा बेटी' 'आश्रित' की परिभाषा के भीतर नहीं थी। [पैरा 8.1] [658-ए-डी]

3. उपरोक्त के अलावा एक अतिरिक्त पहलू की आवश्यकता है

जिस पर उच्च न्यायालय विचार करने में विफल रहा है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मृतक कर्मचारी की मृत्यु 25.03.2012 पर हुई थी। इसमें प्रतिवादी-उस समय मूल रिट याचिकाकर्ता एक विवाहित बेटी थी। उसकी शादी मृतक की मृत्यु की तारीख यानी 25.03.2012 पर चल रही थी। मृतक कर्मचारी की मृत्यु के तुरंत बाद, प्रतिवादी ने हिंदू विवाह की धारा 13 बी के तहत तलाक की कार्यवाही शुरू की।

आपसी सहमति से तलाक की डिक्री के लिए 12.09.2012 पर अधिनियम, 1955। प्रधान सिविल न्यायाधीश, मांड्या ने दिनांक 20.03.2013 के निर्णय द्वारा आपसी सहमति से तलाक का फरमान जारी किया। कि तुरंत अगले ही दिन यानी 21.03.2013 पर,

4. अन्यथा भी, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि उस समय जब मृतक कर्मचारी की मृत्यु 25.03.2012 पर हुई थी प्रत्यर्थी और उसके पति के बीच विवाह चल रहा था। इसलिए, उस समय जब मृतक कर्मचारी की मृत्यु हो गई थी, वह एक विवाहित बेटी थी और इसलिए, इसे नियम 1996 के नियम 2 के तहत परिभाषित 'आश्रित' भी नहीं कहा जा सकता है। इसलिए,

भले ही यह माना जाए कि 'तलाकशुदा बेटी' [2021] 7 एस. सी. आर. में आ सकती है।

'अविवाहित बेटी' और 'विधवा बेटी' का वही वर्ग उस मामले में भी जिस तारीख को मृतक कर्मचारी की मृत्यु हुई थी

यहाँ उत्तरदाता 'तलाकशुदा बेटी' नहीं थी क्योंकि वह

- मृत्यु के बाद आपसी सहमति से तलाक प्राप्त किया

मृतक कर्मचारी। इसलिए, प्रत्यर्थी अपनी माँ और मृत कर्मचारी की मृत्यु पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। [पैरा 8.3] [659]

बी-डी]

एन. सी. संतोष बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य। (2020) 7

एस. सी. सी. 617 [2020] 3 एस. सी. आर. 1177-पर निर्भर था।

मामला कानून संदर्भ

[2020] 3 एससीआर 1177

उस पर भरोसा करें

पैरा

5.7

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील No.5122

2021 .

उच्च न्यायालय के 17.12.2018 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2017 (एस-के. ए. टी.) की लिखित याचिका No.5609 में बेंगलुरु में कर्नाटक सरकार की ओर से।

वी. एन. रघुपति, मो. अपजल अंसारी, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए। मोहम्मद. इरशाद हनीफ, रिज़वान अहमद, मुजाहिद अहमद, मोहम्मद।

असलम, अहमद परवेज, शिशिर राज, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. विवादित फैसले से दुखी और असंतुष्ट महसूस करना

और बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा लिखित याचिका No.5609/2017 में पारित 17.12.2018 दिनांकित आदेश, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत उक्त लिखित याचिका को अनुमति दी है और कर्नाटक राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, बेंगलुरु द्वारा आवेदन में पारित 09.12.2015 दिनांकित आदेश को रद्द कर दिया है। 2015 का <आई. डी. 1 और इसके परिणामस्वरूप अपीलकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि वे इसमें प्रतिवादी के आवेदन पर विचार करें-मूल रिट याचिकाकर्ता (इसके बाद 'मूल याचिकाकर्ता' के रूप में संदर्भित) अनुकंपा के अनुदान के लिए।

नियुक्ति, मूल प्रत्यर्थी ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

2. संक्षेप में वर्तमान अपील की ओर ले जाने वाले तथ्य इस प्रकार हैं:

वह श्रीमती। पी. भाग्यम्मा, मूल रिट की माँ

याचिकाकर्ता कर्नाटक सरकार में द्वितीय के रूप में कार्यरत था। मंड्या जिला कोषागार में प्रभाग सहायक। उसकी मृत्यु 25.03.2012 पर हुई।

कर्नाटक और ए. एन. आर. में खजाने के निदेशक। वी. वी. सोम्याश्री [एम. आर. शाह, जे.]

वह मूल रिट याचिकाकर्ता, जो संबंधित समय पर उस समय एक विवाहित बेटी थी जब मृतक (श्रीमती. पी. भाग्यम्मा) की मृत्यु हो गई, उन्होंने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13बी के तहत आपसी सहमति से तलाक के लिए कार्यवाही शुरू की। इसके निर्णय और डिक्री दिनांक 20.03.2013 द्वारा पारस्परिक सहमति से तलाक की डिक्री विद्वान प्रधान वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, सीजेएम, मांड्या द्वारा पारित की गई थी। अगले ही दिन अर्थात आई. डी. 1 पर मूल रिट याचिकाकर्ता ने उसकी माँ की मृत्यु पर उसे अनुकंपा के आधार पर नियुक्त करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया। दिनांक 1 के आदेश द्वारा अनुकंपा नियुक्ति पर नियुक्ति के लिए आवेदन इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि कर्नाटक सिविल सेवा (अनुकंपा आधार पर नियुक्ति) के नियम 3 (2) (ii) के तहत कोई प्रावधान नहीं है

तलाकशुदा बेटी के लिए नियम 1996 (इसके बाद 'नियम, 1996' के रूप में संदर्भित)। कि मूल रिट याचिकाकर्ता ने कर्नाटक राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष 2015 के आवेदन No.6396 के रूप में 20.07.2015 पर एक आवेदन किया, अर्थात लगभग 2 साल की अवधि के बाद अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए उसके आवेदन की अस्वीकृति की तिथि। विद्वत न्यायाधिकरण ने दिनांक 09.12.2015 के आदेश द्वारा उक्त आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि नियुक्ति के लिए कोई प्रावधान नहीं है

तलाकशुदा बेटी के लिए अनुकंपा के आधार पर। इसके बाद, मूल रिट याचिकाकर्ता ने दिनांकित आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया

09.12.2015 विद्वत प्रशासनिक न्यायाधिकरण, बेंगलुरु द्वारा पारित।

3. 17.12.2018 दिनांकित विवादित निर्णय और आदेश द्वारा उच्च न्यायालय

न्यायालय ने 2017 की रिट याचिका No.5609 को मंजूरी दे दी है और कर्नाटक प्रशासनिक न्यायाधिकरण, बेंगलुरु द्वारा 2015 के आवेदन No.6393 में पारित दिनांकित 09.12.2015 के आदेश को रद्द कर दिया है और इसमें अपीलकर्ताओं को अनुकंपा नियुक्ति के अनुदान के लिए मूल रिट याचिकाकर्ता के आवेदन पर विचार करने का निर्देश दिया है।

विवादित निर्णय और आदेश में की गई टिप्पणियाँ। विवादित निर्णय और आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने नियम, 1996 के नियम 3 की व्याख्या की है और कहा है कि एक तलाकशुदा बेटी एक अविवाहित या विधवा बेटी के समान वर्ग में आएगी और इसलिए, एक तलाकशुदा बेटी को 'अविवाहित' या 'विधवा बेटी' के बराबर माना जाना चाहिए।

3.1 उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, अपीलकर्ताओं ने

वर्तमान अपील।

21] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

4. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री वी. एन. रघुपति ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश को रद्द करने और रद्द करने में भौतिक रूप से गलती की है और अपीलार्थियों को अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए रिट याचिकाकर्ता के आवेदन पर विचार करने का निर्देश देने में गलती की है।

4.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देश अपीलार्थियों को मूल रिट के आवेदन पर विचार करने का निर्देश देते हैं

अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए याचिकाकर्ता नियम, 1996 के नियम 3 के बिल्कुल विपरीत है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि नियम 1996 के नियम 3 के अनुसार केवल "अविवाहित और विधवा बेटी" अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की हकदार और/या पात्र होगी।

मृतक महिला सरकारी कर्मचारी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि नियम, 1996 के नियम 3 (2) (ii) में मृत महिला के मामले में अनुकंपा नियुक्ति के अनुदान के लिए 'तलाकशुदा बेटी' शामिल नहीं है। सरकारी कर्मचारी।

4.2 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि परिभाषा के अनुसार भी

4.5 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अन्यथा भी उच्च न्यायालय ने इस तथ्य की सराहना नहीं करने में एक गंभीर त्रुटि की है कि मृतक आई. डी. 2 पर कर्मचारी की मृत्यु हो गई और इसके तुरंत बाद प्रतिवादी ने आई. डी. 1 पर हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 बी के तहत तलाक की कार्यवाही शुरू की और आई. डी. 4 पर आपसी सहमति से तलाक के लिए डिक्री प्राप्त की और अगले ही दिन तुरंत आई. डी. 3 पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त तथ्य कर्नाटक और ए. एन. आर. में खजाने के निदेशक होंगे। वी. वी. सोम्याश्री [एम. आर. शाह, जे.]

स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करें कि केवल अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से उन्होंने आपसी सहमति से तलाक प्राप्त किया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने उपरोक्त पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है

पहलू।

5.7 रिलायंस को इस मामले में इस अदालत के फैसले पर रखा गया है

एन. सी. संतोष बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य। , (2020) 7 एस. सी. सी. 617 इस निवेदन के समर्थन में कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति केवल योजना और नीति के अनुसार होगी।

5.8 उपरोक्त प्रस्तुतियों को प्रस्तुत करने की अनुमति देने के लिए प्रार्थना की जाती है

अपील करें।

6. श्री मोहम्मद ने वर्तमान अपील का जोरदार विरोध किया है। इरशाद

हनीफ, प्रतिवादी के लिए विद्वान अधिवक्ता-मूल रिट याचिकाकर्ता।

6.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में

उच्च न्यायालय ने नियम 3 और उद्देश्य और उद्देश्य की सही व्याख्या की है। जिसके द्वारा वर्ष 2000 में नियम 3 में संशोधन किया गया था जिसके द्वारा 'अविवाहित बेटी' और 'विधवा बेटी' शब्दों को नियम 3 में 'आश्रित' की परिभाषा में शामिल किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने ठीक ही कहा है कि आश्रित की परिभाषा में 'अविवाहित' या 'विधवा बेटी' को जोड़ने का इरादा और नियम बनाने का अधिकार बहुत स्पष्ट है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने सही कहा है कि 'तलाकशुदा बेटी' 'अविवाहित' या 'विधवा बेटी' के समान वर्ग में आएगी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि नियम, 1996 के नियम 3 की व्याख्या करते हुए उच्च न्यायालय ने उद्देश्यपूर्ण अर्थ को अपनाया है।

6.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि बाद में भी और कर्नाटक के अनुसार

अनुकंपा के आधार पर सिविल सेवा नियुक्ति (संशोधन नियम, 2021) 'तलाकशुदा बेटी' भी मृतक सरकार के मामले में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए पात्र होगी।

सेवक। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय द्वारा की गई व्याख्या पूरी तरह से इसके अनुरूप है

संशोधित नियम, 2021 जिसके द्वारा अब 'तलाकशुदा बेटी' भी मृतक नौकर के मामले में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की हकदार होगी।

6.3 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए इसे खारिज करने की प्रार्थना की जाती है

उपस्थित

अपील करें।

7. प्रतिद्वंद्वी की ओर से की गई प्रस्तुतियों पर विचार करते समय

एन. सी. संतोष [2021] 7 एस. सी. आर. के मामले में इस न्यायालय का एक हालिया निर्णय।

(सुप्रा) अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए संदर्भित किया जाना आवश्यक है। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पर इस न्यायालय के निर्णयों पर विचार करने के बाद यह देखा गया है और यह अभिनिर्धारित किया गया है कि राज्य की सेवा में किसी भी सार्वजनिक पद पर नियुक्ति की जानी चाहिए

भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अनुसार सिद्धांतों के आधार पर और अनुकंपा नियुक्ति एक अपवाद है।

सामान्य नियम के अनुसार। यह भी देखा गया है कि मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति पर नीति के आधार पर पात्र बनाया जाता है और उन्हें निर्धारित मानदंडों को पूरा करना चाहिए

राज्य की नीति के अनुसार। यह आगे देखा और अभिनिर्धारित किया जाता है कि आवेदन पर विचार करने की तारीख पर प्रचलित मानदंड अनुकंपा नियुक्ति के दावे पर विचार करने का आधार होना चाहिए। किसी भी निहित की अनुपस्थिति में एक सरकारी कर्मचारी का आश्रित सरकारी कर्मचारी की मृत्यु पर अर्जित अधिकार, केवल उसके आवेदन पर विचार करने की मांग कर सकता है। हालाँकि, यह भी देखा गया है कि वह सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के दिन लागू मानदंडों के अनुसार विचार करने का हकदार है। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देने पर उपरोक्त निर्णय में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का सारांश इस प्रकार दिया जा सकता है:

(i) कि अनुकंपा नियुक्ति एक अपवाद है

सामान्य नियम;

((ख) कि किसी भी उम्मीदवार को अनुकंपा से नियुक्ति का अधिकार नहीं है। ((iii) राज्य की सेवा में किसी भी सार्वजनिक पद पर नियुक्ति।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अनुसार सिद्धांत के आधार पर बनाया जाना है;

(4. अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति केवल राज्य की नीति द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करने और/या नीति के अनुसार पात्रता मानदंडों की संतुष्टि पर की जा सकती है।

(v) आवेदन पर विचार करने की तिथि पर प्रचलित मानदंड दावे पर विचार करने का आधार होना चाहिए।

अनुकंपा नियुक्ति।

8. उपरोक्त निर्णय में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को लागू करना।

मामले के तथ्यों पर, हमारी राय है कि इस प्रकार उच्च न्यायालय ने नियम, 1996 के नियम 2 और नियम 3 से परे जाकर अपीलार्थियों को निर्देश दिया है कि वे अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए प्रतिवादी के आवेदन पर 'तलाकशुदा बेटी' के रूप में विचार करें। नियम, 1996 के नियम 2 और नियम 3 को निम्नानुसार पढ़ा जाता है:

कर्नाटक और ए. एन. आर. में खजाने के निदेशक। वी. वी. सोम्याश्री [एम. आर. शाह, जे.]

" 2. परिभाषाएँः - (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा आवश्यक न होः

((ख) एक मृत महिला सरकारी कर्मचारी के मामले में, उसका विधुर, बेटा, (अविवाहित बेटी और विधवा बेटी) जो उस पर निर्भर थे और उसके साथ रह रहे थे; ((ग) मृतक सरकारी कर्मचारी के संबंध में 'परिवार' का अर्थ है उसका पति या पत्नी और उसका बेटा (अविवाहित बेटी और विधवा बेटी) जो उसके साथ रह रहे थे।

(2) उपयोग किए गए लेकिन परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें कर्नाटक सिविल में सौंपा गया है।

सेवा (सामान्य भर्ती) नियम, 1977 "।

6. एक महिला कर्मचारी की मृत्यु पर पात्रता कर्नाटक सिविल सेवा (अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति) नियम, 1996 के नियम 3 (2) (ii) के संदर्भ में है।

इस प्रकार पढ़ता हैः नियम 3 (2) (ii):

' ((ख) मृतक महिला सरकारी कर्मचारी के मामले में;

((क) एक पुत्र;

(ख) एक अविवाहित बेटी, यदि बेटा पात्र नहीं है या किसी वैध कारण से वह नियुक्ति स्वीकार करने को तैयार नहीं है; (ग) विधुर, यदि पुत्र और पुत्री पात्र नहीं हैं या

कोई वैध कारण वे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं

नियुक्ति।

((घ) एक विधवा बेटी, यदि विधवा, बेटा और अविवाहित है।

बेटी पात्र नहीं है या किसी वैध कारण से वे नियुक्ति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं।

3. XXX

"[2021] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

8.1 उपरोक्त नियमों से यह देखा जा सकता है कि केवल 'अविवाहित बेटी' और 'विधवा बेटी' जो इस पर निर्भर थीं

मृत्यु के समय मृत महिला सरकारी कर्मचारी और उसके साथ रहने वाली महिला को एक मृत सरकारी कर्मचारी का 'आश्रित' कहा जा सकता है और महिला सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के मामले में केवल 'एक अविवाहित बेटी' और 'विधवा बेटी' को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए पात्र कहा जा सकता है। ऊपर पुनरुत्पादित नियम 2 और नियम 3 में 'तलाकशुदा बेटी' को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए पात्र और यहां तक कि 'आश्रित' के रूप में शामिल नहीं किया गया है। जैसा कि देखा गया है।

इसके ऊपर और यहां तक कि एन. सी. संतोष (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित, विचार की तारीख पर प्रचलित मानदंड

आवेदन अनुकंपा नियुक्ति के लिए दावे पर विचार का आधार होना चाहिए। 'तलाकशुदा बेटी' शब्द को बाद में संशोधन, 2021 द्वारा जोड़ा गया है। इसलिए, प्रासंगिक समय पर जब मृतक कर्मचारी की मृत्यु हो गई और जब मूल रिट याचिकाकर्ता-प्रतिवादी ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया तो 'तलाकशुदा बेटी' अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं थी और 'तलाकशुदा बेटी' 'आश्रित' की परिभाषा के भीतर नहीं थी। 8.2 उपरोक्त के अलावा एक अतिरिक्त पहलू पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिस पर उच्च न्यायालय विचार करने में विफल रहा है। यह ध्यान देने योग्य है कि

मृतक कर्मचारी की मृत्यु 25.03.2012 पर हुई। इसमें प्रतिवादी-उस समय मूल रिट याचिकाकर्ता एक विवाहित बेटी थी। उसकी शादी मृतक की मृत्यु की तारीख यानी 25.03.2012 पर चल रही थी। मृतक कर्मचारी की मृत्यु के तुरंत बाद, प्रतिवादी ने आपसी सहमति से तलाक की डिक्री के लिए हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 बी के तहत 12.09.2012 पर तलाक की कार्यवाही शुरू की। दिनांक 20.03.2013 के निर्णय द्वारा, विद्वान प्रधान सिविल न्यायाधीश, मांड्या ने आपसी सहमति से तलाक का फरमान जारी किया। कि तुरंत अगले ही दिन यानी <आई. डी. 1 पर, पारस्परिक सहमति से तलाक की डिक्री के आधार पर प्रतिवादी ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया। तिथियों और घटनाओं के उपरोक्त कालक्रम से पता चलता है कि केवल अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से पारस्परिक रूप से तलाक की डिक्री सहमति मिल गई है। अन्यथा, एक विवाहित बेटी के रूप में वह अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की हकदार नहीं थी। इसलिए, मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, अन्यथा भी उच्च न्यायालय को अपीलार्थियों को कर्नाटक और ए. एन. आर. में खजाने के निदेशक पर विचार करने का निर्देश नहीं देना चाहिए था।

वी. वी. सोम्याश्री [एम. आर. शाह, जे.]

अनुकंपा के आधार पर 'तलाकशुदा बेटी' के रूप में नियुक्ति के लिए इसमें प्रत्यर्थी का आवेदन। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए प्रतिवादी के आवेदन को अस्वीकार करने के लिए यह एक अतिरिक्त आधार है।

8.3 अन्यथा भी, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि उस समय जब मृतक कर्मचारी की मृत्यु 25.03.2012 पर हुई थी, दोनों के बीच विवाह

प्रत्यर्थी और उसका पति जीवित थे। इसलिए, उस समय जब मृतक कर्मचारी की मृत्यु हो गई थी, वह एक विवाहित बेटी थी और इसलिए, इसे नियम 1996 के नियम 2 के तहत परिभाषित 'आश्रित' भी नहीं कहा जा सकता है। इसलिए, भले ही यह माना जाए कि 'तलाकशुदा बेटी' 'अविवाहित बेटी' और 'विधवा बेटी' के एक ही वर्ग में आ सकती है, उस मामले में भी जिस तारीख को मृतक कर्मचारी की मृत्यु हुई थी, वह 'तलाकशुदा बेटी' नहीं थी क्योंकि उसने मृतक कर्मचारी की मृत्यु के बाद आपसी सहमति से तलाक प्राप्त किया था। इसलिए, प्रत्यर्थी अपनी माँ और मृत कर्मचारी की मृत्यु पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

9. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को देखते हुए, अपील सफल होती है। रिट याचिका No.5609/2017 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित सामान्य निर्णय और आदेश को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है। उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका तदनुसार खारिज कर दी जाती है। हालांकि, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा। अंकित ज्ञान

अपील की अनुमति दी गई।